न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 151 / 2023

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. साधुराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. दीपाराम पुत्र साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. विद्या पुत्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता सायल
श्री कुलदीप सिह खुडिया

निर्णय दिनांकः 23/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189 / 112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1233 / 2017 हिस्सा भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 196 / 191 की कुल 4.8310 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] गया। रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189 / 112 की [illegible] पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 196 / 191 की कुल [illegible] अंतरिम अस्थाई नि[illegible] विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 [illegible] उक्त वाद भूमि के [illegible] की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता स0 196/191 की कुल 4.8310 हैक्ट भूमि बाबत न्यायालय हाजा में वाद स0 213/99 अनवानी रामप्रताप बनाम साधुराम पेश किया गया था जिसमें निर्णय दिनांक 12.03.2001 के द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि में जितना हक हिस्सा बनता था उतना हक हिस्सा दे दिया गया है इसलिए उक्त खाता में अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है एवं रोही मौजा जोखासर की भूमि को प्रार्थी अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पिता व प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन पत्रावली में प्रस्तुत चित्रप्रति निर्णय दिनांक 12.03.2001 अनवानी रामप्रताप बनाम साधुराम के अवलोकन से स्पष्ट है कि रोही मौजा पाण्डुसर की वाद भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम बहिब दर्ज की गई है अर्थात उक्त भूमि में प्रार्थी का जो भी हक हिस्सा था वह प्रार्थी को दिया जा चुका है इसलिए उक्त भूमि बाबत प्रार्थी को पाबन्द किया जाना उचित नही है एवं रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 189/112 की भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हकों का निर्धारण होना है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है क्योंकि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता स0 196/191 कुल 4.8310 हैक्ट भूमि हेतु प्रार्थी को पाबन्द किया जाना उचित नही है लेकिन रोही मौजा जोखासर के खाता स0 189/112 की भूमि हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार हैं परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि रोही मौजा जोखासर की अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी जबकि रोही मौजा पाण्डुसर की भूमि में प्रार्थी को पूर्व में जितना हक हिस्सा था उतना दिया जा चुका है अतः रोही मौजा पाण्डुसर की भूमि बाबत अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है तो असुविधा अप्रार्थी को होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को आंशिक होगी।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता हैं कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 189/112 की कुल 4.0340 हैक्ट भूमि में से 1233/2017 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे एवं रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 196/191 की कुल 4.8310 हैक्ट भूमि में दिनांक 21.06.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 23/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested